

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लि०
सी - 115, आवास विकास, रामपुर।

पत्र सं० 392 / 4 असा. एम० आ० एम० / 2014-15 दि० 10/10/14

सेवा में,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
रामपुर।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि द्वितीय त्रैमास माह ~~जुलाई~~ ^{अक्टूबर} के आंवटन के विरुद्ध बाल पोषाहार योजना का खाद्यान्न गेहूँ/चावल का उठान भारतीय खाद्य निगम, धर्मौरा रामपुर से किया गया। उठान की गती मात्रा के परिशिष्टन बिल तैयार कर इस पत्र के साथ सलंगन कर निम्न विवरणानुसार आपकी सेवा में भुगतान हेतु प्रेषित है। कृपया भुगतान कराने का कष्ट करें।

बिल का विवरण

क्रम सं०	बिल सं०/ दिनांक	विवरण	माह का नाम	मात्रा (कु०)	दर (प्रति कु०)	धनराशि
1.	05/04-10-14	एम०डी०एम० गेहूँ (प्राथमिक)	द्वितीय त्रैमास अक्टूबर	1068-66	75-00	80149-50
2.	06/04-10-14	एम०डी०एम० चावल (प्राथमिक)	11	2071-09	75-00	155331-75
3.	07/04-10-14	एम०डी०एम० गेहूँ (उच्च प्राथमिक)	11	519-52	75-00	38964-00
4.	08/04-10-14	एम०डी०एम० चावल (उच्च प्राथमिक)	11	1008-14	75-00	75610-50
योग				4667-41		250055-75

(रूपये तीन लाख पचास हजार पचास एवं पैसालीक हजार मात्र)

सलंगनक- उपरोक्तानुसार।

1. बिल मूल रूप में - 04
2. आर०आ० की छायाप्रति - 04
3. एफ०सी०आई० से सत्यापित खाद्यान्न उठान की सूचना।

भवदीय

श्रीमती लक्ष्मी

प. ब. ए. आ. एवं आ. ए. वि.
रामपुर

प्रतिनिधि- उपरोक्त प्रदत्तक, मुख्यालय लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

श्रीमती लक्ष्मी

प. ब. ए. आ. एवं आ. ए. वि.
रामपुर